मध्य प्रदेश शासन

आयुष विभाग,

वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल

मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 05/03/2019

क्रमांक/805 /174/2019/1/59 :: डॉ0 ओमप्रकाश रघुवंशी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी द्वारा समयमान वेतनमान के संबंध में दायर याचिका क्रमांक 21261/2017 के बारे में याचिकाकर्ता के द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान करने हेतु समयमान वेतनमान समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 25.01.2019 को किया गया।

2/– समिति द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11–2/2013/नियम/चार, दिनांक 31 जनवरी, 2013 तथा परिपत्र क्रमांक एफ 11–4/नियम/चार, दिनांक 25 जनवरी, 2014 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11–17/2014/नियम/चार, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 (**वित विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11–01/2008/नियम/चार, दिनांक 13.11. 2009 के बिन्दू क्रमांक–4 तदर्थ रूप से की गई सेवा समयमान वेतनमान देने हेतु गणना में नहीं ली जाएगी**) के अनुसार दिनांक 01/04/2006 (या बाद के वर्षो से उपयुक्तता अनुसार) से द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान हेतु विचार किया गया है।

3/– उक्त समिति द्वारा अपनाये गये मापदण्डों अनुसार डॉ.ओमप्रकाश रघुवंशी सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला शिवपुरी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.06.1987 होने पर 16 वर्ष पश्चात उन्हें द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता दिनांक 01.04.2006 से आती है या नहीं इसका परीक्षण किया गया। द्वितीय समयमान देने हेतु उनके वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन, विचार में लिये जाने थे, लेकिन उनके वर्ष 2004 एवं 2005 के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने एवं उनके पूर्व वर्षो 2000, 2001 के गोपनीय प्रतिवेदन को विचार में लिये जाने पर समिति ने पाया कि गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने के कारण पात्रता दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं बनती। समिति द्वारा इसके पश्चात वर्षो में द्वितीय समयमान वेतनमान पर विचार किया गया। वर्ष 2007, 2008, एवं 2009 के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने और भविष्य में भी प्राप्त नहीं होने की संभावना के कारण समिति द्वारा उनके आगे–पीछे के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर "अच्छा" मान्य किया गया परन्तु गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित 13 अंक नहीं होने के कारण पात्रता दिनांक 01.04.2007, 01.04.2008 एवं 01.04.2009 की स्थिति में द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं बनती। डॉ.रघुवंशी के वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 के गोपनीय प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और उक्त वर्ष के पूर्व वर्ष 2008 एवं 2009 के अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों को समिति द्वारा "अच्छा" माना गया।

4/– समिति द्वारा उक्त वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार किये जाने पर उनके वर्ष 2008, 2009, 2010 2011 2012 का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक होने पर उन्हें दिनांक 01.04.2012 से द्वितीय उच्चतर वेतनमान 15600–39100+ग्रेड पे 7600 प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाये जाने की अनुशंसा की गई। अतः राज्य शासन एतदद्वारा डॉ0 ओमप्रकाश रघुवंशी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकार, जिला शिवपुरी को दिनांक 1/4/2012 से द्वितीय समयमान वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे–7600/– स्वीकृत करता है।

5/– समिति ने पाया कि डॉ.ओमप्रकाश रघुवंशी सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला शिवपुरी को बिना सक्षम स्वीकृति एवं मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने के बावजूद भी द्वितीय समयमान दिनांक 01.04.2006 से मिल रहा है। समग्र मूल्यांकन के आधार पर समिति द्वारा डॉ.रघुवंशी को द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु दिनांक 01.04.2012 से उपयुक्त पाया गया है। अतः डॉ.ओमप्रकाश रघुवंशी सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला शिवपुरी को बिना सक्षम स्वीकृति के दिए गए द्वितीय समयमान वेतनमान दिनांक 01.04.06 से 31.03.2012 तक की अवधि का अधिक भुगतान की गई राशि की नियमानुसार वसूली डॉ.ओमप्रकाश रघुवंशी से की जाऐ।

8/– उपरोक्त समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा एवं पूर्व में दिये गये समयमान में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली वेतनमान निर्धारण के समय की जाएगी।

9/– डॉ.ओमप्रकाश रघुवंशी चूंकि दिनांक 31.03.2017 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है तथा नियमित प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.06.1987 होने पर उनकी 30 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 23.06.17 को पूर्ण होती है लेकिन इसके पूर्व ही वे दिनांक 31.03.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता इन्हें नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन कमांक/806/174/2019/1/59 भोपाल, दिनांक 05/03/2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। डॉ.रघुवंशी के गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर यथावत संघारण हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, ग्वालियर/चम्बल संभाग मुरैना।
3. संभागीय आयुष अधिकारी, ग्वालियर। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु।
4. जिला आयुष अधिकारी, शिवपुरी। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु।
5. कोर्ट संपर्क अधिकारी, ग्वालियर की ओर याचिका कमांक 21261/17 के संदर्भ में।
6. उप संचालक, संचालनालय, आयुष की ओर उक्त आदेश विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।
7– डॉ0 ओमप्रकाश रघुवंशी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा– जिला आयुष अधिकारी, जिला शिवपुरी।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग